

**\*मीरजापुर पुलिस\***

**\*—प्रेस नोट—\***

**दिनांक: 04.02.2026**

**\*थाना को0देहात पर जिम जिहाद व धर्मातरण के पूर्व में पंजीकृत 02 अलग-अलग अभियोगों से सम्बन्धित 08वां अभियुक्त गिरफ्तार —\***

पूर्व में थाना को0देहात पर धर्मातरण से सम्बन्धित पंजीकृत दो अभियोगों में अबतक 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑफरेशन/नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में आज दिनांक: 04.02.2026 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व मुख्यिक के सूचना के आधार पर धर्मातरण के अभियोग से सम्बन्धित 08वां अभियुक्त मौलवी खलीलुर्हमान पुत्र अजीर्जुर्हमान निवासी भूदेव की गली भटवा के पोखरी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मौलवी खलीलुर्हमान उपरोक्त इस प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तों के अनवरत सम्पर्क में था तथा संगठित रूप से अभयुक्तों के साथ मिलकर हिन्दू लड़कियों को वशीभूत करके धर्मातरण कराने का कार्य करता था। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

**\*पूछताछ विवरण-\*** पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023 में थाना लोहता जनपद वाराणसी में एक हिन्दू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम लड़के से निकाह कराया था। जिसके सम्बन्ध में थाना लोहत जनपद वाराणसी पर अभियोग पंजीकृत है।

**\*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —\***

मौलवी खलीलुर्हमान पुत्र अजीर्जुर्हमान निवासी भूदेव की गली भटवा के पोखरी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर उम्र करीब 39 वर्ष।

**\*आपराधिक इतिहास-\***

- मु0अ0सं0-33/2026, धारा 319(2),318(4).338,336(3),340(2),64(1),308(5),352,351(2)61(2) बीएनएस, 67(बी) आई.टी. एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिरो, थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।
- मु0अ0सं0-32/2026,धारा 319(2),318(4).338,336(3),340(2),64(2)जे,308(5),352,351(2)61(2) बीएनएस, 67(बी) आई.टी. एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिरो, थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

**\*बरामदगी-\***

अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त एक मोबाइल फोन।

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —\***

निरीक्षक अमित मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक को0देहात मय पुलिस टीम।

